

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700469/16

संस्थित दिनांक 09.08.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रामनरेश पुत्र सुधरसिंह राठौर उम्र 33 साल
2. रीना पत्नी नरेशसिंह राठौर उम्र 30 साल

निवासीगण शेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 201 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.07.16 को शाम करीब 4 बजे आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत फरियादिया श्रीमती मनोजबाई के घर के सामने ग्राम शेरपुर में यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि फरियादी की मारपीट की मारपीट कर डण्डे से उपहति कारित की है, उक्त डण्डे को साशय छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 323 तीन काउण्ट सहपठित धारा 34, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 201 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी मनोजबाई के पुत्र संदीप को दिनांक 15.07.16 को आरोपी नरेश मारपीट कर रहा था इतने में फरियादी पहुंच गयी और कहाकि लडके को क्यों मार रहे हो तो अभियुक्त रीनादेवी गाली गलौच करने लगी। गाली देने से मना करने पर नरेश ने फरियादी के सिर में डण्डा मारा और रीना ने पीठ व पैर में डण्डा मारे, शिवानी बीच में आ गयी जिसे नरेश ने चांटा मारा और बाएं हाथ की कोहनी में डण्डा मारा। फरियादी चिल्लाई तो रामस्वरूप व पति आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-58/16 पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरा कर गिरा पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.07.16 को शाम करीब 4 बजे आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत फरियादिया श्रीमती मनोजबाई के घर के सामने ग्राम शेरपुर में यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि फरियादी की मारपीट कर डण्डे से उपहति कारित की है, उक्त डण्डे को साक्ष्य छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया। ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मनोजबाई अ०सा० 1, संदीप अ०सा० 2, शिवानी अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी मनोजबाई अ०सा० 1 यह कथन करती है कि वे अभियुक्तगण को जानती हैं। टटना साक्ष्य से 9-10 महीने पहले शाम के 4 बजे की होना बताते हुए कथन करती हैं कि उनके बच्चों पर विवाद हो गया था जिससे आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया और आरोपीगण ने उसकी तथा बच्चों की लातघुंसों से मारपीट कर दी, जिसकी थाना एण्डोरी में रिपोर्ट कर दी। उक्त रिपोर्ट प्रपी० 1 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करती हैं। संदीप अ०सा० 2 एवं शिवानी अ०सा० 3 भी अपने अभिसाक्ष्य में उन्हें अभियुक्त द्वारा चांटे मारने के संबंध में कथन करते हैं। अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण सूचक प्रश्नों में इस सुझाव से इंकार करते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा डण्डों से उनकी मारपीट की गयी। उक्त साक्षीगण उनके पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 2 लगायत 4 व पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 में डण्डे से मारपीट किए जाने के संबंध में कोई भी तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करते हैं। प्रकरण में उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का इस संबंध में कोई समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा डण्डे से मारपीट की गयी हो।

8. प्रकरण में जहां साक्षियों ने उनके पूर्वतन कथनों के संबंध में सारवान विरोधाभास एवं लोप दर्शित किए हैं ऐसे में प्र०पी० 1 लगायत 4 के दस्तावेज स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य

की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

9. जहां अभियोजन साक्षीगण व घटना के सर्वोत्तम साक्षी आहतगण द्वारा अभिकथित मारपीट में डण्डे के उपयोग के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है और प्र०पी० 1 लगायत 4 में भी लिखाए जाने से इंकार किया है ऐसी दशा में अभिकथित अपराध में प्रयुक्त हथियार के रूप में डण्डा साक्ष्य का विषय नहीं रह जाता है। ऐसी दशा में अभिकथित डण्डे की साक्ष्य का विलोपन संबंधी आरोप स्वयं ही संदिग्ध हो जाता है। दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। उपरोक्त विवेचन के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर धारा 201 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

11. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश